

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001
Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551
फैक्स न० (0135) - 2713724, 2712014

संख्या: 2806 / XXV-12(1-5) / 2008

देहरादून : दिनांक 21 दिसम्बर, 2017

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता
8ए बंगाली लाईब्रेरी रोड़ देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्र का
हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कु० लीला, एडवोकेट चै० नं०-207, जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, हरिद्वार, जिला हरिद्वार के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना आपके कार्यालय के संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

B.S. Rawat
(बी०एस०रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पू०संख्या 2806 / XXV-12(1-5) / 2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि कु० लीला, एडवोकेट चै० नं०-207, जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, हरिद्वार, जिला हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

B.S. Rawat
(बी०एस०रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

सेवा में,

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी महोदय/मुख्य चुनाव अधिकारी ~~हरिद्वार~~ (उत्तराखण्ड)।


विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र वास्ते करने महत्वपूर्ण सूचना:-

श्रीमान जी,

कृपया निम्नलिखित सूचनायें देने की कृपा करें-

1. उत्तराखण्ड में चुनाव सम्बन्धित के अन्तर्गत आचार संहिता के चलते जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम हरिद्वार में जनवरी 2017 के अंतिम सप्ताह में अध्यक्ष एवं महिला सदस्य की नियुक्ति खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय उत्तराखण्ड द्वारा की गयी है या नहीं अगर की गयी है तो किस प्राविधान के अन्तर्गत की गयी है, के सम्पूर्ण विवरण सहित प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाये।
2. दिनांक 17.02.2017 को उक्त सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र आप श्रीमान जी के समक्ष दिया गया था, उस पर क्या कार्यवाही हुई, की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवायें।
3. उत्तराखण्ड में चुनाव सम्बन्धित के अन्तर्गत आचार संहिता के चलते जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम हरिद्वार में जनवरी 2017 के अंतिम सप्ताह में अध्यक्ष एवं महिला सदस्य की नियुक्ति किस दिनांक को की गयी, की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाये।
4. क्या आचार संहिता के चलते यह प्रावधान है कि जनपद हरिद्वार में सदस्य की नियुक्ति की शपथ ली जा सकती है या नहीं, के सम्पूर्ण विवरण सहित प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाये।

दिनांक:- ~~15.12~~ 2017

निवेदक 

AROI (K) संलग्न:-

सूचना शुल्क के 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर
संलग्न है।
उपभोक्ता, देहा-तरित नर;
को

19-12-17
P.I.O

कु0 लीला, एडवोकेट
चै0नं0-207, जिला एवं सत्र
न्यायालय परिसर, हरिद्वार, जिला
हरिद्वार।

Km. Leela urf Pooja
Advocate



Mob - 9756617159, 8006240823
Ch.- 207, Distt. Court Compound,
Roshnabad, Haridwar - 249403
Resi - Anand Ashram, Opp. rishikul,
Haridwar (U.K)

Ref.....

Date ..17.2.17.....

सेवा में,

श्री सधा खूड़ी
मुख्य चुनाव अधिकारी उत्तरांचल

देहरादून

श्रीमानजी,

सेवा में विवेक है कि उत्तरांचल में चुनाव समाप्त होने के अन्तर्गत आचार संहिता के चलते जिला उपरोक्त संरक्षण फोरम हरिद्वार में जनवरी 2017 के आंतरिक सत्र में अध्यक्ष एवं महिला सदस्य की नियुक्ति स्वयं एवं उपरोक्त प्रशास्य उत्तरांचल द्वारा की गई है जो आचार संहिता का पूर्ण उल्लंघन है।
कृपया उचित कार्यवाही करने में साहजिक

प्रतीक्षित

कु. लीला
एडवोकेट




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No. : IN-UK45167581284397P
Certificate Issued Date : 15-Dec-2017 04:53 PM
Account Reference : NONACC (SV)/ uk1206104/ HARIDWAR/ UK-HD
Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK120610491039869159605P
Purchased by : LEELA DO OF RAGHUVVEER SINGH
Description of Document : Article Miscellaneous
Property Description : -
Consideration Price (Rs.) : 0
(Zero)
First Party : LEELA DO OF RAGHUVVEER SINGH
Second Party : NA
Stamp Duty Paid By : LEELA DO OF RAGHUVVEER SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.) : 10
(Ten only)

SHARVAN KUMAR AGARWAL
E Stamp Vendor
Haridwar Lic. No.-22



.....Please write or type below this line.....

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.